

## नई - आप्रवासियों 65 साल या उससे अधिक के लिए इलिनोइस स्वास्थ्य लाभ आप सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लायक हैं।

यदि आप सभी 4 आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो आप इस कार्यक्रम के लिए योग्य हो सकते हैं:

1. आपकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है
2. आप निम्नलिखित में से एक हैं:
  - पांच वर्ष से कम समय (जिसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है) के लिए एक कानूनी स्थायी निवासी (LPR), या
  - एक अनिर्दिष्ट अप्रवासी (एक अस्थायी संरक्षित स्थिति में व्यक्तियों सहित)
3. आप \$ 12,756 से कम 2020 वार्षिक आय के साथ एक व्यक्ति हैं, या \$ 21,299 \* से कम वार्षिक आय वाले एक जोड़े हैं
4. \$ 2,000 से नीचे की संपत्ति वाला व्यक्ति या \$ 3,000 से कम की संपत्ति वाला युगल \* वर्तमान में COVID-19 \*\* के लिए जारी

\* हम आपकी चिकित्सा बिल का उपयोग आपकी गणना योग्य आय या संपत्ति को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। यह आपको योग्य बना सकता है।

\*\* हमने COVID-19 आपातकाल के बाद की संपत्ति की गणना नहीं की है। इसके अलावा, हम घर या कार जैसी कुछ परिसंपत्तियों की गणना नहीं कर सकते हैं।

### कवर किए गए लाभ

नया चिकित्सा कार्यक्रम \$ 0 प्रीमियम और \$ 0 सह-भुगतान के साथ एक लाभ पैकेज प्रदान करेगा। कवर की गई सेवाओं में डॉक्टर और अस्पताल की देखभाल, प्रयोगशाला परीक्षण, शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा, घर के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन विकार सेवाओं, दंत चिकित्सा और दृष्टि सेवाओं, और पर्चे दवाओं जैसी पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। नर्सिंग सुविधा सेवाओं को कवर नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम आपके लागू होने से 3 महीने पहले तक स्वास्थ्य देखभाल को कवर कर सकता है।

### सार्वजनिक आरोप

यदि आपके पास इस बारे में कोई सवाल है कि इस कार्यक्रम में नामांकन आपकी आव्रजन स्थिति को बदलने के लिए वर्तमान या भविष्य के अनुरोधों को कैसे प्रभावित करेगा, तो कृपया Pifillipedia@povertylaw.org पर ईमेल करें या 1-855-437-7669 पर आप्रवासी परिवार संसाधन कार्यक्रम को कॉल करें। वे आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक संगठन खोजने में आपकी मदद करेंगे।

### आज आवेदन दें

आप इन नए लाभों के लिए निम्न विधियों में से किसी से भी आवेदन कर सकते हैं

- ✓ ऑनलाइन आवेदन करें - at [www.ABE.illinois.gov](http://www.ABE.illinois.gov).



- ✓ फ़ोन द्वारा आवेदन करें - ABE ग्राहक कॉल सेंटर पर कॉल करें at 1-800-843-6154.
- ✓ संपर्क करें [Application Assistor](#) आवेदन करने में सहायता के लिए
- ✓ संपर्क करें [Community Service Agency](#) 59 भाषाओं में आवेदन करने में मदद के लिए।
- ✓ मेल द्वारा आवेदन करें - ऑन-लाइन का उपयोग करें – [Paper Application](#) या ABE ग्राहक कॉल
- ✓ सेंटर से 1-800-843-6154 पर पेपर आवेदन के लिए अनुरोध करें।

### **For More Information**

संपर्क करें [Office of Welcoming Centers for Refugee and Immigrant Services](#), DHS Bureau of Refugee and Immigrant Services phone (312) 793-7120. or email [DHS.BRIS@illinois.gov](mailto:DHS.BRIS@illinois.gov)